

Second Ordinance, DTU (M.Tech) M.B.A.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No.

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 299

No. 18]

DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931

[N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सं. फा. 3(9)/वित्त (क. एवं. स्था.)/2009-10/जेएसएफ/66.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	आर. सी. गुप्ता	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	ब्रज मोहन	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (T & E) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2010

No. F. 3(9)/Fin. (T & E)/2009-10/JSFin./66.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect

